Government of Pakistan extended co-operation in securing the safe return of the passengers, the crew and the aircraft. No concessions were made by Government of India to the hijackers.

On October 9, 1976, an official spokesman of the Government of Pakistan stated that preliminary investigations against hijackers had been completed and they would be tried for violating the laws of Pakistan. But, in January 1977, the Government of Pakistan decided to release the hijackers, as it did not have enough evidence to prosecute them and also did not agree to return them to India to face trial. On January 6, 1977, the Government of India expressed its regret and deplored these moves of the Government of Pakistan.

It appears that while no legal action was taken against the hijackers, they have remained under "protective custody" in Pakistan since then. It is learnt from press reports in Pakistan that an application made on behalf of the hijackers for their release has been accepted by the Lahore High Court. Federal Interior Ministry of the Government of Pakistan in its reply is reported to have stated that the detenus hijackers possessed Indian passports and had committed an international crime by hijacking the plane. The case is likely to continue.

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए डाक्टरों की नियुक्ति

4805. **श्री बृज राज सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टरों की नियुक्ति की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का है और यदि हां, तो कब तक तथा कितने और कहां होंगे; और

(ग) नये डाक्टरों की नियुक्ति किस ढंग से की जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) 31-12-76 तक देश में 5,373 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थे, जिनमें 4,394 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दो या दो से अधिक, 928 केन्द्रों में एक और 51 में कोई डाक्टर नहीं है।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के लिए अभी तक लक्ष्यों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। केन्द्रों की अवस्थिति राज्य सरकारें अपनी आवश्यकतानुसार तय करेंगी।

(ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए डाक्टरों की नियुक्ति राज्य सरकारों द्वारा ऐसी नियुक्तियों के लिए निर्धारित उनके नियमों के अनुसार की जाती है।

सिधी में हैड पोस्ट आफिस खोलना

4806. **श्री सूर्यनारायण सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिधी जिला, मध्य प्रदेश में एक हैड पोस्ट आफिस तथा एक तारघर खोलने के लिये क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बरहरि प्रसाद पुजदेव साव): जिला सिधी के मौजूदा रीवां डाकघर को दो भागों में विभक्त कर एक मुख्य डाकघर खोलने का प्रस्ताव हाल ही में प्राप्त हुआ है । इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है ।

जहां तक तारघर खोलने का प्रश्न है, यह उल्लेखनीय है कि मौजूदा सिधी डाकघर में तार सुविधाएं पहले ही दे दी गई हैं।

Quantity of Plates Supplied to Stock-yards

4807. SHRI SARAT KAR : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) the total quantity of plates of different gauge supplied to the different stock yards in the country during the last two years and the basis of such allocation ; and

(b) whether there is any proposal for opening a stockyard at Berhampur in near future ?